राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–726/2025

दमयन्ती

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत क्यारिया में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण मुख्यालय चण्डेला में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 12.04.2023 के द्वारा 2 वर्ष के परिवीक्षा काल के रूप में हुई थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में परिवीक्षाधीन एवं प्रशिक्षणार्थी है। अपीलार्थी की परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं हुई है ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. हम पाते हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने D.B. Spl. Appl. Writ No. 601/2024 Monika V/s State of Raj में दिनांक 16.07.2024 को पारित आदेश में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

> "There is no law of universal application that a probationer cannot be transferred from one place to another during the period of probation. Rather, this is in the interest of the probationer and the department that a probationer has varied experience while working at different places within the State."

5. ऐसा कोई नियम हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता हो। अपीलार्थी के स्थानांतरण में काई विधि–विरूद्धता होना नहीं पाते है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)